वैद्यनाथन समिति का गठन

@2216. श्री राम जेठमलानी :

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में डा० ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि वर्तमान सिंचाई जल की लागत, सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव तथा इस संबंध में सिंचाई जल की दरों के समूचे ढांचे की समीक्षा करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति द्वारा सरकार कोई प्रतिवेदन दिये जाने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने समिति के कार्य-करण हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उस पर अनुमानित वार्षिक व्यय क्या होगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) समिति अधिसूचना की तारीख अर्थात् 23-10-91 से 4 महीनों के अन्दर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग) समिति का गठन तथा विचारार्थ विषयों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां, समिति का कुल व्यय 40,000 रु० आंका गया है, जो कि मुख्यतः 3 गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा खर्चे को वहन करने के लिए है। सरकारी सदस्यों का व्यय यथा नियमानुसार संबंधित विभाग/मंत्रालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

विवरण

सिंचाई जल संबंधी मूल्य निर्धारण समिति का गठन

1.	डा. ए. वैद्यनाथन्, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास, 79, दूसरी मेन रोड, गांधी नगर, अड्यिार, मद्रास-600020	अध्यक्ष
2.	श्री रामास्वामी बी. अय्यर, विजिटिंग प्रोफेसर, नीति अनुसंधान केन्द्र, धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021	सदस्य
3.	श्री बी. बी. पटेल, भूतपूर्व अध्यक्ष, सी डब्ल्यु सी-11, चन्द्र मौली सोसायटी, नवा वड़ाज, अहमदाबाद-380013	सदस्य
4.	श्री आर. एल. प्रदीप अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री बी. एन. नवलावाला, सलाहकार (आई एण्ड सी ए डी), योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य

@तारांकित प्रश्न 1605, 6 दिसम्बर, 1991 से स्थानांतरित

6.	श्री एम. एस. रेड्डी सदस्य (डब्ल्यू पी) सी डब्ल्यू सी, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
7.	कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं)	सदस्य
8.	श्री धर्मवीर, महानिदेशक केन्द्रीय राजस्व (आई), इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002	सदस्य
9.	सचिव, सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।	सदस्य
10.	सचिव, सिंचाई विभाग असम सरकार, गुवाहाटी–781001	सदस्य
11.	सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	सदस्य
12.	सचिव, सिंचाई, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, बम्बई–400001	सदस्य
13.	सचिव, सिंचाई तथा जलमार्ग विभाग पश्चिम बंगाल सरकार, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता–700001	सदस्य
14.	डा. वी. जे. पटेल, जीवराज पटेल, कृषि–वानिकी केन्द्र, सूरेन्द्र बाग, कारदेज–364061 जिला भावनगर (गुजरात) (एक किसान प्रतिनिधि)	सदस्य
15.	श्री एस. एल. लाथ, मुख्य अभियंता (डब्ल्यू एम) जल संसाधन मंत्रालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय

(i) सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रक सिंचाई परियोजनाओं में मौजूदा जल दर ढांचे तथा इमदाद की सीमा की समीक्षा करना।

(ii) निम्न के लिए सुझाव देना :

(क) जल दरें निर्धारित करने के लिए मानदण्ड ;

(ख) किफायती जल दरों के ओ एण्ड एम कम्पोनेंट में लागत वृद्धि के लिए मानदण्ड;

(ग) विभिन्न कृषि-जलवायवीय क्षेत्रों के लिए फसलवार/क्षेत्रवार जल दरों की आयतनी आपूर्ति के परिवर्तन के लिए मानदंड ;

(घ) किफायती जल दरों की सफल वसुली के लिए क्रियाविधि सहित संगठनात्मक उपाय ; तथा

(ङ) राज्यों द्वारा उपयुक्त सिंचाई जल दरों की उगाही सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन नियंत्रण

(iii) संयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सतही और भूमिगत जल, दोनों के लिए एक युक्तियुक्त जल दर ढांचा विकसित करना।

(iv) विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव के वर्तमान स्तरों की समीक्षा करना।

(v) पूर्ववर्ती समितियों तथा विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए रखरखाव के मानदण्डों की समीक्षा करना।

(vi) विभिन्न राज्यों में विविध सिंचाई प्रणालियों के लिए कर्मचारी स्थापना संबंधी व्यय के लिए कमांड की प्रति हैक्टेयर ऊपरी सीमा नियत करने सहित रखरखाव प्रभार निर्धारित करने के लिए मानदंड सुझाना।

Pending projects of Arunachal Pradesh

2217. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the details of the projects of Arunachal Pradesh pending with the Planning Commission for approval; and

(b) by when these projects are likely to be given approval?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No project of Arunachal Pradesh is pending with Planning Commission for investment approval.

(b) Question does not arise.

Resources to be earmarked for agricultural sector

2218. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the impact of fertilizer price hike on farmers;

(b) whether it is a fact that the Planning Commission is silent on the resources to be earmarked for the agricultural sector; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) To overcome the likely impact of fertilizer price hike the Government has already allowed a higher increase in the procurement prices. Also, the small and marginal farmers will get fertiliser at the earlier prices only. As such, no adverse impact of the fertiliser price hike is anticipated.

(b) and (c) In the formulation of 8th Five Year Plan the Planning Com-